होटल सीज मामले ने पकड़ा तूल, ईओ व कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मांग

कलेक्टर अंशदीप व एसपी विकास कुमार को नसीम अख्तर के नेतृत्व में कांग्रेसी पदाधिकारी व माली समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया।

■ पुलिस की एकतरफा कार्यवाही पर नाराजगी जताई

अजमेर, (कासं)। तीर्थ नगरी पुष्कर में विगत 17 जून को होटल सनसेट सीज करने पहुंचे पालिका ईओ अभिषेक गहलोत, नगर पालिका कर्मचारियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को जिला देहात के कांग्रेसी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और माली समाज के लोगों ने अजमेर पहुंचकर जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर पुलिस प्रशासन की एकतरफा कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए ईओ अभिषेक गहलोत और पालिका कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मांग की है।

पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री नसीम अख्तर के नेतृत्व जिला देहात के कांग्रेसी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और माली समाज के सैकड़ों की तादाद में महिला-पुरुषों ने सोमवार को जिला कलेक्टर अंशदीप और एसपी विकास शर्मा से मुलकात कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने कलेक्टर व एसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि पुष्कर नगर पालिका के ईओ अभिषेक गहलोत ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कांग्रेसी महिला पार्षदों और कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार किया और होटल सीज करने गए। उस दौरान भारी संख्या में नगर पालिका के कर्मचारियों को हथियार सहित लेकर आए और मारपीट पर उतर गए और होटल सीज की जगह तोडफ़ोड़ करने लग गए। तोडफ़ोड़ की कार्रवाई को रोकने के लिए जब कांठोसी कार्यकर्ताओं और होटल मालिक बाबूलाल दगदी व उनके परिवार सहित समर्थक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उनके साथ हाथापाई पर उतर गए और मारपीट करने लगे। इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता की पत्नी को धक्का देने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उनके थप्पड़ मार दिया उसके बाद नगरपालिका के कर्मचारियों ने भी गाडियों से लकड़ी निकाल कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। नसीम अख्तर ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई की है और होटल मालिक के दो पुत्रों को गिरफ्तार किया जबकि कार्रवाई दोनों पक्षों की तरफ होनी चाहिए।

नसीम अख्तर ने जिला व पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 4 दिनों के अंदर ईओ अभिषेक गहलोत के खिलाफ और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमला बोलने वाले नगर पालिका के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो 1 जुलाई को कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी।

उन्होंने कहा कि कलेक्टर अंशदीप ने निष्पक्ष कार्रवाई करने और ईओ अभिषेक के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हेतु 3 सदस्य कमेटी बनाकर जांच का अश्वसान दिया है। एसपी विकास कुमार ने भी कहा है कि पुलिस की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन, हेमंत भाटी, छीतरमल टेपण, हाजी इंसाफ अली, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, हनुमान सिंह सिंगोदिया, पुखराज दगदी, मनीराम अजमेरा, रामजतन चौधरी, पार्षद उमा देवी, समरता पाराशर, संगीता नागोरा, सरोज दगदी, शरद वैष्णव, गोपाल तिलोनिया, भागचंद दगदी बीरम सिंह रावत, सुनिल धानका, आलोक भारद्वाज, चंद्रशेखर गौड, ओम प्रकाश तिगाया, मौसम शर्मा, रवि शर्मा रमेश चंद मारोठिया, विनोद सत्रावला सहित बड़ी संख्या में कांठोसी कार्यकर्ता और माली समाज के लोग मौजूद रहे।

इंदिरा रसोई योजना की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

बैठक में नवीन इंदिरा रसोइयों के लिए संचालक संस्था का चयन करने तथा उनके लिए सामग्री क्रय करने आदि पर चर्चा की गई।

भीलवाडा, (निसं)। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार इंदिरा रसोई योजना की जिला स्तरीय समन्वय एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में नवीन इंदिरा रसोइयों के लिए संचालक संस्था का चयन करने तथा उनके लिए सामग्री क्रय करने, नवीन इंदिरा रसोइयों में प्लेटफार्म एवं अन्य निर्माण की स्थिति पर चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ राजेश गोयल ने पूर्व संचालित इंदिरा रसोइयों प्रगति की समीक्षा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की "कोई भूखा ना सोये" संकल्पना को साकार करने के लिए आमजन में इंदिरा रसोई योजना के अधिकाधिक प्रचार करने को कहा।

उन्होंने इंदिरा रसोई में भोजन को प्रायोजित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों कार्मिकों तक इस योजना की स्पॉन्सर्ड स्कीम की जानकारी पहुंचने को कहा ताकि अधिक से अधिक प्रायोजित भोजन हो। बैठक में नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मुस्ताक खान, जिला कोषाधिकारी रेखा शर्मा, इंदिरा रसोई डीपीएम अमृत खोईवाल व जिले के नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

रेडक्रास द्वारा आयोजित शिविर में 40 यूनिट रक्त एकत्र किया

स्व शंकरसिंह रावत की पांचवी पुण्य तिथि पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ।

अजमेर, (कासं)। इंडियन रेडक्रास सोसायटी, किसान मोर्चा खोडा गणेश मण्डल एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को बीरा गार्डन एवं रेस्टोरेन्ट बडलिया चौराहा पर स्व. शंकरसिंह रावत की पांचवी पुण्य तिथि पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान अर्जुन सिंह ने रक्तदाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ इन्सान के शरीर में करीब पांच लीटर रक्त होता है जिसमें से साढे तीन सौ ग्राम रक्त तीन माह में एक बार देने से शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आती है अपितु नए रक्त संचार से स्फूर्ति बनी रहती है। शिविर में अध्यक्ष पद से बोलते हुए रेडक्रास के चेयरमैन हरिनारायण सोमानी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान से अच्छा जीवन में कोई दान नहीं है। रावत ने कहा कि दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्तियों के लिये, अस्पताल में आकस्मिक आवश्यकताओं के लिये, प्राकृतिक आपदाओं में जरूरत होने पर आपका दिया हुआ रक्त इन रोगियों की जिन्दगियां बचाता है।

रेडक्रास के वाईस चेयरमैन सोमरत्न आर्य ने कहा कि प्रत्येक नौजवान को अपने जन्म दिन या विवाह की वर्ष गांठ पर,राष्ट्रीय पर्व या धार्मिक पर्व पर, विश्व रक्तदाता दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हर तीन माह के अन्तराल में अवश्य रक्तदान करें। उन्होनें रक्तदाताओं से आठाह किया कि अपने जीवन में जीते जी रक्तदान और मृत्युपरान्त देहदान के ध्येय वाक्य को अपने जीवन का आदर्श बनाए। इस अवसर पर सम्भागीय रक्तकोष की पूरी टीम व किसान मोर्चा खोडा गणेश मण्डल के अध्यक्ष सोहनसिंह रावत, जयसिंह, गणेश सिंह, महेन्द्रसिंह, घनश्याम जांगीड, सचिव जीवन सिंह चौहान, मदनसिंह, राजेशसिंह तथा रेडक्रास के संगठन सचिव जीवनसिंह चौहान,सचिव कर्नल के डी उपाध्याय, मल्लासिंह, जावेद खान विशेष रूप से उपस्थित थें।

बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाई, पुलिस जांच में जुटी

■ सुसाइड नोट में बैंक अधिकारियों पर धमकाने का आरोप लगाया

अजमेर, (कासं)। रामगंज थाना क्षेत्र के अजयनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक बैंक कर्मचारी ने बीती रात फांसी का फंदा लगाकार जीवनलील समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। वहीं बैंक कर्मचारी के कमरे में मिले सुसाइड नोट में उसने अपनी ही बैंक के शाखा प्रबंधक और अधीन अन्य अधिकारियों पर धमकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

रामगंज थाने के एएसआई देवाराम ने बताया कि मृतक बैंक कर्मचारी अजय नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी हिमांशु निरंकारी पुत्र भगवानदास निरंकारी है। मृतक किशनगढ़ स्थित बैंक शाखा में कार्यरत था। मृतक के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। वर्ष 2021 में 24 जून को स्पाइन रोग से बीमार ग्रसित होने के कारण समय-समय पर अपना मेडिकल भी इंडियन ओवरसीज बैंक किशनगढ़ शाखा और हेड ऑफिस को भिजवा रहा था लेकिन बीती देर रात बैंक कर्मचारी हिमांशु ने खुद को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में बैंक कर्मचारी ने लिखा है कि 2 दिन पहले बैंक के कुछ अधिकारी उसके पास आए थे और उसे धमकाया था कि यदि कल से तुम बैंक ड्यूटी पर नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन वह इस हालत में नहीं था कि बैठ भी सके और चिकित्सकों ने उन्हें संपूर्ण बैडरेस्ट करने की सलाह दे रखी थी। इसके चलते डिप्रेशन में आ गए और खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आम सूचना

मेरे पक्षकार श्री राकेश माली पुत्र श्री अमर चन्द माली जाति माली आयु लगभग 47 वर्ष निवासी घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर की हिदायत व निर्देशानुसार यह आम सूचना प्रकाशित कर रहा हूँ कि मेरे पक्षकार की पुत्री शिवानी टांक के द्वारा मेरे पक्षकार व उसके परिवार की इच्छा के विरुद्व गैर समाज के लड़के से विवाह कर लिया है। मेरा पक्षकार पुत्री शिवानी टांक को अपने परिवार से निष्कासित करता है और अब मेरे पक्षकार व उसके परिवार का संबंध किसी भी प्रकार से शिवानी टांक के साथ नहीं रहेगा और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार या निजदीकी मिलने वाला शिवानी टांक से कोई व्यवहार करेगा और ना ही कोई लेन देन करेगा और कोई भी व्यक्ति शिवानी टांक से लेन देन करता है तो वह अपनी जिम्मेदारी पर करेगा जिसके लिए मेरा पक्षकार व मेरे पक्षकार का परिवार जिम्मेदार नहीं होगा। मेरा पक्षकार उसकी एवं परिवार की चल व अचल सम्पत्ति से शिवानी टांक को बेदखल करता हूँ और शिवानी टांक को मेरे पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् मेरे पक्षकार व उसके परिवार की सम्पत्ति में कोई भी हिस्सा या अन्य किसी भाग में हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा। (एस.के. भार्गव) एडवोकेट, प्रभु भवन, हाथीभाटा, अजमेर, मो. 9829072040

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ज्ञान विहार कोटड़ा योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 174 क्षेत्रफल 138.89 वर्गमीटर के आवंटी/अन्तरिति श्री प्रवीण कुमार पाराशर पुत्र श्री छीतरमल पाराशर निवासी 174, ज्ञान विहार, कोटड़ा अजमेर की मृत्यु दिनांक 18.08.2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) श्रीमती शोभा पाराशर पत्नि राकेश पाराशर (2) राजकुमार पाराशर पुत्र प्रवीण कुमार पाराशर निवासी 174, ज्ञान विहार, कोटड़ा अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती प्रेमलता पाराशर प्रवीण कुमार पाराशर निवासी 174, ज्ञान विहार, कोटड़ा अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 19.05.2022 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय पंचायत समिति हुरड़ा जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक-पसहु/निर्माण/लेखा/2022-23/523 दिनांक - 27/06/2022

निविदा सूचना 03/2022

पंचायत समिति हुरडा के अधीन में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के राज्य वित्त आयोग पंचम/पन्द्रहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र एवं अन्य शर्तें वेब पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN NO. ZBL2223WSOB00544 to 00547

NIB NO. ZBL2223AO0219

विकास अधिकारी
ग्राम समिति हुरडा

सैयद शाहिद हुसैन रिजवी दरगाह कमेटी के नए चेयरमैन

नवनिर्वाचित सदर और नायब सदर का दरगाह कमेटी सदस्यों ने स्वागत किया।

■ मुनव्वर खान ने फिर संभाला नायब सदर का पद

अजमेर, (कासं)। ख्वाजा ग़रीब नवाज़ की प्रबन्धक कमेटी, दरगाह कमेटी के वर्ष 2022-23 के चेयरमैन पद पर दरगाह कमेटी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मिति से सैयद शाहिद हुसैन रिज़्वी को चुना। इसके साथ ही नायब सदर के पद के लिए जयपुर के मुनव्वर खान को दोबारा जिम्मेदारी दी गई।

सदर और नायब सदर के पद के चुनाव नई दिल्ली में केन्द्रीय वक्फ़ काउंसिल, सभागार में सम्पन्न हुए। इस अवसर बैठक में दरगाह कमेटी सदस्य अमीन पठान, सैयद बाबर अशरफ, कासिम मलिक, सपात खान, फारूके आज़म, वसीम राहत अली, जावेद पारेख के साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय के अवर सचिव मोहम्मद नदीम खान मौजूद रहे। बैठक में एजेण्डा बतौर सचिव शादान जैब खान ने पेश किया।

बजट बैठक में खान ने वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। जिस पर चर्चा आगामी 01 जुलाई को अजमेर में आयोजित होने वाली बैठक में की जाएगी। नवनिर्वाचित सदर और नायब सदर को दरगाह कमेटी सदस्यों सहित परिजनों ने मुबारकबाद पेश की, नाज़िम शादां जैब खान ने शाल पहना कर दोनों पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस पर दोनों ही पदाधिकारियों ने स्वयं पर ख्वाजा साहब की इनायत बताई और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी और सभी दरगाह कमेटी सदस्यों एवं परीजनों का शुक्रिया अदा किया। गौरतलब है कि सैयद शाहिद हुसैन रिज्वी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, इसके अलावा कई विभागों एवं बोर्ड में बतौर सदस्य अपनी सेवाए दे चुके हैं।

सैयद शाहिद हुसैन रिज़्वी, सदर, ने कहा कि "दरगाह शरीफ़ में सफ़ाई व्यवस्था के साथ सम्पत्तियों के विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम कोशिश करेंगे की दरगाह में आने वाला जायरीन एक अच्छे अनुभव के साथ लौटे।" नायाब सदर मुनव्वर खान ने बताया कि "दरगाह विकास के सम्पूर्ण जारी कार्यो को पूरा किया जाएगा। जायरीन को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता होगी"

खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर आज

मांडलगढ़, (निसं)। मांडलगढ में खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। कारोबारियों की सुविधा के मद्देनजर शिविर में हाथोंहाथ लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी दिशा-निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।

मांडलगढ में 28 जून मंगलवार को ओस्तवाल कॉम्पलेक्स, डाक बंगला चौराहे के पास, माण्डलगढ में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि माण्डलगढ ओर आस-पास के कस्बे व गाँवों के खाद्य कारोबारियों के आवेदन लेकर लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि शिविर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनवाएं।

Name Change

I have changed my name from Rekha Verma W/O Girish Kumar Verma to REKHA SONI W/O Girish Kumar Verma. Address: 64, Nehru Gate Bahar, Munot Colony, BEAWAR-305901 (Ajmer) Raj.

आम सूचना मेरी अभिभाष्या कम्पनी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, 5th फ्लोर, मान उपासना, सरदार पटेल मार्ग, नियर चौमू सर्किल, जयपुर एवं ब्रान्च ऑफिस सैकिण्ड फ्लोर 90 डिग्री, आनासागर सर्कूलर रोड, अजमेर के निर्देशानुसार आम जन को सूचित किया जाता है कि उक्त कम्पनी से ऋण प्राप्तकर्ता मोहम्मद यूसुफ एप्लीकेशन नम्बर 0501165423 व मोहम्मद उसमान के स्वामित्वाधिकार की सम्पत्ति आवासीय प्लाट पट्टा नम्बर 453, स्थित वार्ड नम्बर 06, नियर मदीना मस्जिद, मालियों की ढ़ाणी, गाँधी नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर के मूल दस्तावेज उक्त कम्पनी के अजमेर कार्यालय से श्री अमित उबाना द्वारा ब्लू डर्ट कोरियर कम्पनी द्वारा ए.डब्ल्यूबी. 40669131005 के जरिये दिनाँक 19.04.2022 को श्री साहिल श्रीवास्तव एवं श्री नितेश प्रजापति के पास जयपुर ब्रान्च में कोरियर द्वारा भिजवाये थे जो कि मिल नहीं रहे हैं। अतः आम जन को सूचित किया जाता है कि उक्त मूल कागजात यदि किसी को भी मिले तो उनका किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं करें तथा उन्हें उक्त कम्पनी को अथवा मुझे मेरे निम्न पते पर भिजवाने का श्रम करें:- पुलकित गर्ग (एडवोकेट) MZ-4, अलंकार टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016, अथवा 7-ए, ज्योति विला, अशोक मार्ग, बसंत कॉलोनी, अजमेर-305001, मो. 09828084002

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक: 663 दिनांक: 22.6.2022

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-च-8 आनासागर सरक्यूलर रोड़ अजमेर योजना में श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोरन्दमल जेठानी को आवंटित कर दिनांक 09.12.1978 को मकान का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोरन्दमल जेठानी द्वारा दि. 22.03.1997 को उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया हैं। श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोरन्दमल जेठानी ने आवास का बैचान श्रीमती लीना जे. पत्नी श्री रमेश को कर दिया गया। श्रीमती लीना जे. पत्नी श्री रमेश ने आवास का बैचान श्रीमती कुसुम बोहरा स्व. श्री आशा कुमार बोहरा को कर दिया गया। श्रीमती कुसुम बोहरा स्व. श्री आशा कुमार बोहरा के पक्ष में मण्डल द्वारा परस्पर विक्रय के पश्चात् नामान्तरण के कार्यालय आदेश दिनांक-05.09.2013 को जारी किये गये। श्रीमती कुसुम बोहरा की मृत्यु दिनांक 12.03.2022 को हो जाने के कारण उनके वारीसान श्री विवेक जैन एवम् श्री विनीत जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार बोहरा द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत कर मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अब श्री विवेक जैन एवम् श्री विनीत जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार बोहरा ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वंय के नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं। श्री विवेक जैन एवम् श्री विनीत जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार बोहरा का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, जहाजपुर जिला - भीलवाडा

E-Mail: mbjahazpur@gmail.com Contact : 01485-230101
क्रमांक नपाज/2022-23/512 दिनांक : 27-06-2022

उजरदारी सूचना

एदत् द्वारा सार्वजनिक उजरदारी सूचना जारी की जाती है कि नगर पालिका जहाजपुर मे नीचे अंकित आवेदक अपनी क्रय शुदा सम्पति जो कि नगर पालिका क्षेत्र जहाजपुर में स्थित है का नामान्तरण/निर्माण स्वीकृती स्वयं के नाम से जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	स्थान	पडौस	प्रयोजनार्थ
1.	श्रीमती सुमन देवी पत्नि बनवारी लाल सोनी निवासी जहाजपुर (भील.)	वार्ड नं. 08 सदर बाजार जहाजपुर स्थित भूखण्ड सं. 12 जिसका नाप = 45+49/2X25 = 1175 वर्गफिट	भूखण्ड के पडौस निम्न प्रकार है- पूर्व - भूखण्ड संख्या 13 पश्चिम - भूखण्ड संख्या 11 उत्तर - अन्य भूमि दक्षिण - रास्ता 30 फिट	आवासीय मकान निर्माण स्वीकृति

उक्त नामान्तरण/निमार्ण स्वीकृति हेतु आवेदक के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/वारिसान को कोई आपति हो तो उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के 7 दिवस के भीतर-भीतर मय दस्तावेजो के लिखित रूप में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद उक्त सम्बन्ध मे कोई आपति मान्य नही होगी व आवेदक के पक्ष मे नामान्तरण/निमार्ण स्वीकृति जारी की जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित रहे। **अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जहाजपुर**

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, जहाजपुर जिला-भीलवाडा

G-Mail: mbjahazpur@gmail.com contact: 0148-230101
क्रमांक: नपाज/2021-22-513 दिनांक: 27/06/21

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियों ने प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत धारा 69ए व ग्रान्ट स्टेट एक्ट के तहत पट्टे चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस बाबत् मालिकाना हक सम्बन्धित किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 दिवस में मय दस्तावेज के इस पालिका में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। मियाद गुजरने के पश्चात् किसी की भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी किए जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र.सं	आवेदक का नाम	स्थान
1	श्री जयनारायण मीणा पिता दुर्गा लाल मीणा	वार्ड नं. 24
2	श्रीमती कमलेश देवी मीणा पत्नि कैलाश चन्द मीणा	वार्ड नं. 22
3	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पिता सुरेश चन्द्र शर्मा	वार्ड नं. 06
4	श्री मुरलीधर खटीक पिता पोखर खटीक	वार्ड नं. 05
5	श्री बालकृष्ण भुंवालिया पिता रमेश चन्द्र भुंवालिया	वार्ड नं. 18
6	श्री सुखदेव मीणा पिता रामलाल मीणा	वार्ड नं. 03

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर

कांग्रेस का प्रदर्शन सेना और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ : देवनानी

■ अग्निपथ को लेकर कांग्रेस द्वारा किए प्रदर्शन पर देवनानी ने दी प्रतिक्रिया

अजमेर, (कासं)। भाजपा नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने 'अग्निपथ' योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रर्दशन को 'नौटंकी' करार देते हुए कहा कि सेना और राष्ट्र सुरक्षा से जुडी महत्वपूर्ण योजना के खिलाफ प्रदर्शन होना सेना और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड है। कांग्रेस नहीं चाहती की देश की सेना और सुरक्षा मजबूत हो।

देवनानी ने कहा कि अग्निपथ योजना पूर्णतया देशहित में है। इस योजना से सेना तथा देश की सुरक्षा पहले से अधिक 'युवा', आधुनिक एवं सशक्त होगी। 'अग्निवीरो' को 4 साल बाद अनेक लाभ मिल सकेंगे। वे एक अनुशासित, गतिशील, प्रेरित एवं कुशल श्रमशक्ति के रूप में अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाने के उद्धेश्य से अपनी पसंद के पेशे में करियर बनाने के लिए सिविलियन के रूप में वापस लौट सकेंगे। लौटने के दौरान उन्हें 11.7 लाख एक मुश्त राशि एवं इसके बाद जरूरतमंद अग्निवीर को करीब 18 लाख रूपए तक का लोन भी मिल सकेंगे। कुल में से 25 प्रतिशत 'अग्निवीर' सेना में जा सकेंगे। राज्यों में बीएसएफ व सीआरपीएफ में भी अग्निवीरों में से ही लिए जाएंगे। इस अग्निपथ के सुखद परिणाम चार साल बाद देशवासियों के सामने होंगे। कांग्रेस नहीं चाहती हमारी सेना और सुरक्षा मजबूत हो। देश की सेना और सुरक्षा की रत्तीभर भी चिंता अगर कांग्रेस को होती तो वह अग्निपथ पर प्रदर्शन करने के बजाए समर्थन में उतरती।

देवनानी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य ही है कि संविधान और लोकतंत्र रक्षा का जूठा राग अलापने वाली कांग्रेस न केवल अग्निपथ जैसी योजना का विरोध कर रही है बल्कि अनावश्यक जवानों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस और कांग्रेसियों की आजादी से देश को कमजोर करने की नीतियां ही रही है, जो आज भी जारी है। कांग्रेस के राहुल गांधी पडोसी दुश्मन देशों की भाषा बोल रहे हैं। उनकी भाषा देश को कमजोर करने वाली है। गांधी कभी नहीं चाहते देश मजबूत बनें।

प्रदर्शन पर बोलते हुए देवनानी ने कहा कि आज का प्रदर्शन केवल कांग्रेस की नौटंकी साबित हुआ। कांग्रेस प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं को भ्रमित करना चाहती थी लेकिन फैल साबित हुई। प्रदर्शन में युवाओं ने रूचि नहीं दिखाई। कांग्रेस युवाओं की भीड जुटाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि देश से खत्म होती कांग्रेस की भलाई इसी में ही कि वह राष्ट्र सुरक्षा से जुडी इस योजना का विरोध करना बंद करें और योजना पर अनर्गल टिप्पणियां करने के बजाए योजना के फायदे जवानों को बताए ताकि इसका सम्पूर्ण लाभ देश और जवानों को मिल सके। समय रहते कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो वह निश्चित ही परिणाम भुगतने को तैयार रहें।